



उपायुक्त का कार्यालय, लोहरदगा
 प्रथम अपीलीय पदाधिकारी का न्यायालय (सूचना अधिकार अधिनियम 2005)
 अपील वाद संख्या 02/2018

श्री निलेश कुमार गुप्ता
 बनाम
 जन सूचना पदाधिकारी
 -सह-अंचल अधिकारी
 लोहरदगा ।

आदेश क्र० / तिथि	आदेश और पदाधिकारी का सहस्ताक्षर	आदेश पर की गई कार्रवाई के बारे में टिप्पणी के साथ
1	2	3
04.06.18	<p style="text-align: center;"><u>आदेश</u></p> <p>यह अभिलेख सूचना अधिकार अधिनियम 2005 की धारा 19(1) के तहत श्री निलेश कुमार गुप्ता, ग्राम-ज्ञानकुंज अखबार एजेन्सी, न्यू रोड लोहरदगा पो0 -लोहरदगा, थाना-लोहरदगा, जिला लोहरदगा के अपील के आधार पर यह अभिलेख संघारित किया गया है ।</p> <p>अपीलकर्ता के द्वारा सूचना अधिकार अधिनियम, 2005 की धारा (6) के तहत जन सूचना पदाधिकारी-सह-अंचल अधिकारी, लोहरदगा से दिनांक 23.01.2018 को सूचना मांगी गई है जिसे उपलब्ध नहीं कराये जाने पर इनके द्वारा अपील दायर किया गया है ।</p> <p>सुनवाई के क्रम में जन सूचना पदाधिकारी-सह-अंचल अधिकारी, लोहरदगा के ज्ञापांक 840, दिनांक 28.05.2018 के द्वारा अपीलकर्ता को उपलब्ध कराई गई सूचना का प्रतिलिपि भेजा गया है। जो अभिलेख में संलग्न है। अपीलकर्ता लिखित रूप से दिया है कि वे प्राप्त सूचना से संतुष्ट है।</p> <p>अतः वाद की कार्रवाई समाप्त की जाती है ।</p> <p style="text-align: right;">  प्रथम अपीलीय पदाधिकारी, (सूचना का अधिकार अधिनियम) </p>	

ज्ञापांक :- 788...

प्रतिलिपि :- श्री निलेश कुमार गुप्ता, ग्राम-ज्ञानकुंज अखबार एजेन्सी, न्यू रोड लोहरदगा पो0 -लोहरदगा, थाना-लोहरदगा, जिला लोहरदगा को सूचनार्थ प्रेषित ।


 प्रथम अपीलीय पदाधिकारी,
 (सूचना का अधिकार अधिनियम)